संख्या: 51/xxvii(7)सी0भर्ती0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनांक 13फरवरी,2009

विषय:–दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। उक्त शासनादेश के संलग्नक–2 में उल्लिखित फिटमेन्ट टेबिल में उक्त तिथि के पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के लिए वेतन निर्धारण की व्यवस्था तो की गई है लेकिन दिनांक1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न सेवा संघों के द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिये निम्नवत वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाये:–

वेतन बैंड–1(रू0 5200–20200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैंड-2(रू09300-34800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैंड-3(रू015600-39100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैंड-4(रू0 37400-67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

2-ऐसे प्रकरणों में, जहाँ पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियाँ (अर्थात सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान(वेतनमानों)में मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता) संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

3-अतः उक्त श्रेणी के सीधी भर्ती के कार्मिकों के लिए उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए भी विकल्प की तिथि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक अंतिम बार बढ़ाई जा रही है। उक्त तिथि के बाद विकल्प की तिथि अग्रेतर नहीं बढ़ाई जाएगी।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 41 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।